

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 638 / 15  
 संस्थापन दिनांक:-14 / 10 / 15  
 फाईलिंग नं. 233504003622015

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,  
 आमला (सामान्य), जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. भीमराव पिता भुजल गोंड, उम्र 59 वर्ष
2. संगलू पिता मलकू गोंड, उम्र 55 वर्ष  
 दोनों निवासी मोवाड़,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 20.02.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 01.08.2015 को समय शाम करीब 04:00 बजे, ग्राम मोवाड़ स्थित अपने खेत में निर्मित झोपड़ी में वन्य प्राणी जंगली सुअर जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वन्य प्राणी की श्रेणी में आकर धारा 9 के अंतर्गत जिसका शिकार प्रतिबंधित है, का अवैध रूप से करंट लगाकर एवं कुल्हाड़ी से काटकर शिकार किया तथा अपने आधिपत्य में उसका मांस रखा एवं मांस पकाया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.08.2015 को वन परिक्षेत्र अधिकारी आमला (सामान्य) को दूरभाष पर सूचना मिलने पर वह हमराह स्टाफ के ग्राम मोवाड़ अभियुक्त भीमराव के खेत की झोपड़ी में पहुंचे जहां जंगली सुअर का मांस एवं झोपड़ी में बांस की टोकनी में मृत जंगली सुअर के 4 पैर के खूर जो अंगार में भुंजे हुए थे करीब 2 कि.ग्रा., खून लगी कुल्हाड़ी 1 नग, जी.आई. तार 50 मीटर, बिजली तार 60 मीटर, खरगोश पकड़ने के जाल 2 नग एवं अभियुक्त संगलू के खेत में बनी झोपड़ी में से चूल्हे पर रखी गंजी में पका हुआ 500 ग्राम मांस, 01 नग कुल्हाड़ी, 01 नग चम्मच जप्त किया गया। मौके का पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वन अपराध क. 696/20 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मौके का नजरी नक्शा, मांस नपार्ई, मांस नष्टीकरण पंचनामा तैयार किया गया। मांस परीक्षण करवाया गया। दिनांक 07.08.2015 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कथन लेख किये गये। विवेचना

पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर वन्य प्राणी जंगली सुअर जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वन्य प्राणी की श्रेणी में आकर धारा 9 के अंतर्गत जिसका शिकार प्रतिबंधित है, का अवैध रूप से करंट लगाकर एवं कुल्हाड़ी से काटकर शिकार किया तथा अपने आधिपत्य में उसका मांस रखा एवं मांस पकाया?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

#### विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

5 राजेंद्र (अ.सा.-1), शिवप्रसाद (अ.सा.-2) संतोष कुमारे (अ.सा.-4), राजेश अहाके (अ.सा.-5) एवं महेश कुमार अहिरवार (अ.सा.-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वे घटना दिनांक 01.08.2015 को वन परिक्षेत्र में क्रमशः बीट गार्ड, सहायक वन वृत्त, बीट गार्ड, वनरक्षक, परिक्षेत्र अधिकारी के पद पद पदस्थ थे। उक्त दिनांक का मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोवाड़ में अभियुक्त भीमराव एवं संगलू वन्य प्राणी जंगली सुअर का अवैध शिकार करके उसे बनाकर खा रहे हैं। उक्त सूचना पर जब मौके पर पहुंचे तब अभियुक्त भीमराव भाग गया था।

6 देवचरण (अ.सा.-3) एवं रमेश महस्की (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि रेंजर साहब उक्त दिनांक को वन चौकी मोवाड़ आये थे और अभियुक्त भीमराव के खेत की जानकारी मांगी थी तब वह रेंजर साहब के साथ और अन्य स्टाफ के साथ भीमराव के खेत पर गये थे।

7 राजेंद्र (अ.सा.-1), शिवप्रसाद (अ.सा.-2), देवचरण (अ.सा.-3), संतोष कुमारे (अ.सा.-4), राजेश अहाके (अ.सा.-5), महेश कुमार अहिरवार (अ.सा.-6), रमेश महस्की (अ.सा.-7) ने यह बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे तब मौके पर कोई नहीं मिला था। तत्पश्चात मौके का पंचनामा (प्रदर्श प्री-1) तैयार

किया गया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

8 राजेंद्र (अ.सा.-1), शिवप्रसाद (अ.सा.-2), देवचरण (अ.सा.-3), संतोष कुमारे (अ.सा.-4), राजेश अहाके (अ.सा.-5), महेश कुमार अहिरवार (अ.सा.-6), रमेश महस्की (अ.सा.-7) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो भीमराव के खेत पर बने झोपड़े से जंगली सुअर के चार पैर, एक जाल, जी.आई. तार, खून लगी कुल्हाड़ी, बिजली तार 60 मीटर, माहौल के पत्ते मिले थे जिसे जप्त किया गया। इसके बाद अभियुक्त संगलू के खेत पर पहुंचे तो उसके खेत पर बनी झोपड़ी में एक गंजी में पका हुआ जंगली सुअर का मांस, एक कुल्हाड़ी मिली थी जिसे जप्त किया गया तथा साक्षी राजेंद्र एवं देवचरण ने यह बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर हैं।

9 देवचरण (अ.सा.-3), संतोष (अ.सा.-4), रमेश महस्की (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि मौके पर मांस जप्त करने के बाद कार्यालय लाकर उसकी नपाई की गयी थी तथा नपाई का पंचनामा (प्रदर्श प्री-4) तैयार किया गया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 03.08.2015 को उनके समक्ष जप्तशुदा मांस नष्ट किया गा था तथा मांस नष्ट करने का पंचनामा (प्रदर्श प्री-6) है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

10 राजेंद्र (अ.सा.-1), शिवप्रसाद (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वे ६ टना के दूसरे दिन अभियुक्तगण की तलाश में घर पर गये थे परंतु अभियुक्तगण नहीं मिले थे जिसका तलाशी पंचनामा (प्रदर्श प्री-5) है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। राजेंद्र (अ.सा.-1), शिवप्रसाद (अ.सा.-2), संतोष कुमारे (अ.सा.-4), राजेश अहाके (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे दिनांक 05.08.2015 को अभियुक्त भीमराव के घर पर गये थे लेकिन वह शराब पीये हुए था और साथ में आने से इनकार कर रहा था। इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया था जो (प्रदर्श प्री-7) है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11 साक्षी राजेंद्र (अ.सा.-1), शिवप्रसाद (अ.सा.-2), देवचरण (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि वे पुनः से दिनांक 07.08.2015 को अभियुक्तगण के घर गये थे और उन्हें मोटर सायकिल से वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला लेकर आये थे जिसका पंचनामा (प्रदर्श प्री-8) है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था।

12 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-8) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 01.08.2015 को वह परिक्षेत्र सहायक मोवाड़ आमला के पद पर पदस्थ था। दिनांक 07.08.2015 को केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-3) तैयार किया गया था तथा अभियुक्तगण की तलाशी के दौरान जप्ती

पंचनामा प्रदर्श प्री-15 एवं प्रदर्श प्री-16 तैयार किया गया था तथा उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श प्री-19) तैयार किया गया था।

13 राजेंद्र (अ.सा.-1), शिवप्रसाद (अ.सा.-2), देवचरण (अ.सा.-3), संतोष कुमारे (अ.सा.-4), राजेश अहाके (अ.सा.-5), महेश कुमार अहिरवार (अ.सा.-6), रमेश महस्की (अ.सा.-7), रामचंद्र (अ.सा.-8) से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। उपर्युक्त सभी साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक 01.08.2015 को मौके पर अभियुक्तगण नहीं थे वे भाग गये थे। महेश कुमार अहिरवार (अ.सा.-6) ने यह भी बताया है कि अभियुक्त भीमराव के खेत में जो झोपड़ी बनी हुई थी वहां पर कुछ लोग खड़े थे जो कि बुलेरो जीप को देखकर भाग गये थे। अभियुक्तगण का फरारी पंचनामा दिनांक 01.08.2015 को तैयार नहीं किया गया है। साथ ही दिनांक 05.08.2015 को अभियुक्तगण की तलाशी के दौरान अभियुक्तगण अपने घर पर मिले थे परंतु उनके शराब के नशे में होने के कारण उस दिन अभियुक्तगण से न कोई पूछताछ की गयी और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.08.2015 को अभियुक्तगण को वन परिक्षेत्र आमला लेकर आया गया। दिनांक 05.08.2015 के बाद जब अभियुक्तगण अपने घर पर मिल चुके थे तब उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। साथ ही दूसरे दिन दिनांक 06.08.2015 को कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन साक्षीगण के कथनों से प्रकट नहीं होता है।

14 दिनांक 07.08.2015 को अभियुक्तगण की तलाश किये जाने के दौरान तैयार पंचनामा (प्रदर्श प्री-8) में समय का स्थान खाली है। साथ ही उक्त पंचनामे में घेराबंदी करके अभियुक्तगण को पकड़ना लेख है। जबकि इस संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने कोई कथन नहीं किये हैं। जंगली सुअर के मांस की जप्ती खेत पर निर्मित झोपड़ी से की गयी है जिसका खुला होना अभियोजन साक्षीगण ने स्वीकार किया है। ऐसे कोई दस्तावेज भी अभिलेख पर नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो कि जिस झोपड़ी से कथित मांस की जप्ती की गयी है वह अभियुक्त भीमराव एवं संगलू का ही खेत है और जिस झोपड़ी से मांस की जप्ती की गयी है वह अभियुक्तगण के खेत पर ही निर्मित है। इसके अतिरिक्त साक्षी महेश कुमार अहिरवार (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे थे तो कई लोग मौके पर खड़े थे। तब अभियुक्तगण को छोड़कर अन्य लोगों के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी हो या जांचपड़ताल की गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। घटना दिनांक को मौके का जो पंचनामा बनाया गया है उस पर किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं लिये गये हैं। घटना दिनांक को अभियुक्त भीमराव की पत्नी का मौके पर उपस्थित होना बताया गया है परंतु उसके भी हस्ताक्षर मौका पंचनामे पर नहीं लिये गये हैं। अभियुक्तगण का गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श प्री-8) पर गिरफ्तारी का समय 11:45 पी.एम. लेख है। साथ ही समय पर ओव्हर राईटिंग

किया जाना प्रकट हो रहा है। दिनांक 01.08.2015 को अभियुक्तगण मौके पर उपस्थित नहीं थी परंतु उसके बाद भी जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी लिये गये हैं। मांस नपाई का पंचनामा (प्रदर्श प्री-4) में भी दिनांक में ओव्हर राईटिंग की गयी है। कथित मांस की जप्ती अभियुक्तगण से नहीं की गयी है। खेत पर निर्मित खुली झोपड़ी से की गयी है। उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण से कथित मांस की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है। साथ ही अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि अभियुक्तगण द्वारा **कब, किस प्रकार, किस जगह पर** जंगली सुअर का शिकार किया गया। अतः इन परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

15 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वन्य प्राणी जंगली सुअर जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वन्य प्राणी की श्रेणी में आकर धारा 9 के अंतर्गत जिसका शिकार प्रतिबंधित है, का अवैध रूप से करंट लगाकर एवं कुल्हाड़ी से काटकर शिकार किया तथा अपने आधिपत्य में उसका मांस रखा एवं मांस पकाया। फलतः अभियुक्त भीमराव एवं संगलू को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39 सहपठित धारा 51 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

17 प्रकरण में जप्तशुदा दो कुल्हाड़ी, जी.आई. तार, बिजली तार, खरगोश पकड़ने का जाल, एक गंजी, एक चम्मच वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला (सामान्य) जिला बैतूल में सुरक्षार्थ है। अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)